

04
23-24

2023-24/2024/11
Nol/2023

प्रति

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिफिकेशन किया। प्राची अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। व प्रकरण में जारी अस्थायी निविदा का दिनांक 01/03/2024 भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली निगति होकर बम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

